



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2011/चैत्र 28, 1933

No. 210]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2011/CHAITRA 28, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2011

**सा.का.नि. 326(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 620क की उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 28 मई, 1963 में प्रकाशित एवं सं. सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 23 फरवरी, 1988 एवं सं. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 31 अगस्त, 2006 द्वारा यथा संशोधित पूर्व में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 978 दिनांक 28 मई, 1963 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची-III में परंतुक (2) में “धारा 309(4)” में शामिल प्रविष्टि के नीचे कॉलम (2) में “पांच लाख रुपए” शब्दों को “पंद्रह लाख रुपए” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 5/35/2006-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2011

**G.S.R. 326(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section of Section 620A read with sub-section (1) of Section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India, the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Department of Company Law Administration) No. G.S.R. 978 dated 28th May, 1963 and published in the Gazette of India, in Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 28th May, 1963 as amended by No. G.S.R. 84(E), dated 23rd February, 1988 and No. G.S.R. 517(E), dated 31st August, 2006.

2. In Schedule III to the said Notification in column (2) below the entry occurring against the entry “Section 309(4)” in proviso (2) of the words “five lakh rupees”, the word “fifteen lakh rupees” shall be substituted.

[F.No. 5/35/2006-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.